UPBS120007572018

न्यायालय CIVIL JUDGE (J.D. KLD. at BASTI), Basti

पीठासीन अधिकारी– (DIKSHA AGARWAL), (उ०प्र० न्यायिक सेवा)– UP03335

मूलवाद सं० 535/2018

मोती लाल बनाम विद्यालाल

18.10.2021

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर उभयपक्ष मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थनापत्र 23 ग 2 पर सुना–

वादी द्वारा प्रार्थनापत्र 23 ग 2 प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि न्यायालय द्वारा विवादित जमीन व मकान का मूल्यांकन दिनांक 14.10.2019 को मु० 51,000/– रूपए निर्धारित किया गया है, जबकि दौरान सुनवाई मौखिक रूप से न्यायालय द्वारा मु० 5,100/– रूपए बताया गया था, परन्तु टाइपिंग की गलती से मु० 51,000/– रूपए टाइप हो गया है। ऐसी दशा में न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 14.10.2019 में आंशिक संशोधन किया जाना आवश्यक है।

प्रतिवादी द्वारा प्रार्थनापत्र पर मौखिक आपत्ति की गयी है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि वादी द्वारा प्रार्थनापत्र 23 ग 2 प्रस्तुत करते हुए न्यायालय के आदेश दिनांकित 14.10.2019 में आंशिक संशोधन करने की याचना की गयी है। आदेश पत्रक के अवलोकन से स्पष्ट है कि न्यायालय द्वारा दिनांक 14.10.2019 को वादबिन्दु सं० 3 व 4 का निस्तारण करते हुए वाद का मूल्यांकन मु० 51,000/– रूपए निर्धारित किया गया है। चूंकि विवादित भूमि में मकान स्थित है, इसलिए वाद का मूल्यांकन मु० 51,000/– रूपए होना उचित प्रतीत होता है। अतः न्यायालय की राय में प्रार्थनापत्र 23 ग 2 खारिज होने योग्य है।

आदेश

प्रार्थनापत्र 23 ग 2 खारिज किया जाता है। वादी आदेश दिनांकित 14.10.2019 के अनुपालन में पैरवी अन्दर सप्ताह करे। पत्रावली वास्ते मुंसरिम रिपोर्ट दिनांक 02.12.2021 को पेश हो।

सिविल जज (जू०डि०),
खलीलाबाद स्थान–बस्ती।